

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

बनाम तहसीलदार सीकर
 अशोक कुमार मु.नं. 20 वर्ष 2024
 किस्म मुकदमा इजराय

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17 ¹² / ₂₅	पत्रावली पेश हुई तहसील पार्चीपत्र डिहीदाउ उप. प्रकरण इजराय में वर्तित निर्वाचन व डिही की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक नू.अ. 25/4186 दि. 17 ¹² / ₂₅ के द्वारा पालना की भाऊ पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर झॉप दी जाती है। पत्रावली कैंसल शुमार लीक वाह तहसील कार्यालय दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर

